भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 74
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 / 30 आषाढ़, 1947 (शक)

भारतीय श्रम सम्मेलन

74. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सम्मेलन का 46वां संस्करण वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि लगभग सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार से त्रिपक्षीय परंपरा को बनाए रखने और श्रम संबंधी ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह भी सच है कि महत्वपूर्ण श्रम नीतियो/मुद्दों पर ट्रेड यूनियनों के साथ समय-समय पर चर्चा करना भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने से भिन्न है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 46वें सत्र का आयोजन 20-21 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में किया गया था।

(ग) से (ङ) जी हां, भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के आयोजन के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार समय-समय पर महत्वपूर्ण श्रम नीतियों/मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकार, नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय परामर्श करती रही है।

*****